

खास-खबरें

सड़क हादसे में सात मजदूरों की मौत

नईदुनिया ब्यूरो, कच्छ: गुजरात के कच्छ में शुक्रवार सुबह ट्रक और पिकअप बोलैरो की टक्कर में सात मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को भुज सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलैरो का कैबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और ट्रक उसके नीचे दब गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में भारत में सड़क हादसों के कारण 1.77 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई। देश में प्रतिदिन औसतन करीब 485 और हर घंटे लगभग 20 लोग सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाते हैं। तेज रफ्तार और हेलमेट या सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करना इन मौतों की प्रमुख वजहों में शामिल हैं।

पहली बार टीवी पर दिखाएँगे मौत की सजा

टेबसास, एजेंसी: अमेरिका में पूर्व सैन्य अधिकारी निदाल हसन को गोली मारकर मौत की सजा देने की योजना है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के अनुसार, इस सजा का सीधा प्रसारण किया जाएगा, ताकि आम लोग इसे देख सकें। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, यह अमेरिका में करीब 100 वर्षों में सार्वजनिक रूप से दी जाने वाली पहली मौत की सजा होगी। हसन ने वर्ष 2009 में टेबसास के एक सैन्य अड्डे पर गोलीबारी की थी। इस घटना में 13 सैनिकों की मौत हुई थी। अठ्ठ तीन दिसंबर को उसी सैन्य अड्डे पर उसे गोली मारकर सजा देने की योजना है। घटना में 31 लोग घायल भी हुए थे।

नाना पाटेकर के निधन मामले में केस दर्ज

नईदुनिया ब्यूरो, एणजी: अभिनेता नाना पाटेकर के निधन के मामले में गोवा पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है। पुलिस भारतीय न्याय संहिता की धारा 194 के तहत मौत के कारणों की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नाना पाटेकर को गुरुवार सुबह गोवा के डोना पाडला स्थित ओशन पार्क से मणिपाल अस्पताल, बांबोलिम लाया गया था, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दर रात पुणे स्थित फार्महाउस में उनका अंतिम संस्कार किया गया।

जेवर एयरपोर्ट का नाम नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल योगी कैबिनेट का फैसला, केंद्र की मंजूरी के बाद बदलेगा नाम

नईदुनिया ब्यूरो, लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नोएडा के जेवर एयरपोर्ट का नाम नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट करने का प्रस्ताव पारित किया गया। मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की। अब नाम बदलने का प्रस्ताव मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि केंद्र की स्वीकृति मिलने के बाद एयरपोर्ट का नाम बदल दिया जाएगा। इससे पहले 24 फरवरी 2021 को गुजरात के अहमदाबाद स्थित क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28



मार्च 2026 को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया था। इसके पहले चरण में 3,300 एकड़ जमीन पर टर्मिनल और रनवे बनाए गए हैं। इस चरण में हर साल लगभग 1.2

करोड़ यात्रियों के सफर करने की क्षमता निर्धारित की गई है। इसके निर्माण पर करीब 11 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। बैठक में अग्निवीर योजना को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया।

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि अग्निवीरों को राज्य में 20 प्रतिशत आरक्षण और बिना परीक्षा नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट बैठक में कुल 39 प्रस्ताव पारित किए गए।

भारत किसी का गुलाम नहीं देश की नीतियां अरबपति तय नहीं कर सकते: कमल हसन

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: आभिनेता और राजनेता कमल हासन ने स्टारलंक को भारत में लाइसेंस नहीं मिलने के मुद्दे पर एलन मस्क को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी अरबपति किसी देश की नीतियां तय नहीं कर सकता, चाहे वह भारतीय हो या अमेरिकी। भारत एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश है और उसका भविष्य यहां की जनता तय करेगी।

दरअसल, एलन मस्क ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर सवाल उठाया था कि स्टारलंक को दुनिया के 165 से अधिक देशों में सेवा देने की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन भारत में अब तक लाइसेंस क्यों नहीं मिला। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या उद्योगपति फुकेस अंबानी देश के असली कैबिनेट लेने वाले हैं। मस्क का कहना है कि उनकी कंपनी पिछले पांच वर्षों से भारत सरकार के कानूनों और जरूरी शर्तों का पालन कर रही है। कमल हासन ने जवाब में कहा कि भारत में लोग अपनी ताकत और कमियों पर चर्चा करेंगे

तथा उन्हें सुधारने के लिए खुद फैसले लेंगे। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के निवेशकों और तकनीक का स्वागत करता है, लेकिन देश का भविष्य भारतीय जनता ही तय करेगी। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी मस्क की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने भारत में उनका स्वागत करते हुए दूसरे व्यक्ति से मिलने का इंतजार करने की बात कही। इसे उद्योगपति गौतम अडानी की ओर संकेत माना गया। मस्क ने राहुल गांधी के जवाब पर धन्यवाद देते हुए कहा कि स्थिति वास्तव में परेशान करने वाली है। मस्क इससे पहले भी आरोप लगा चुके हैं कि भारत के कुछ बड़े कारोबारी स्टारलंक की एंटी रोककर बाजार पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं। हालांकि, केंद्र सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि सैटेलाइट संचार सेवाओं के लिए नियम सभी कंपनियों पर समान रूप से लागू होते हैं और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है।

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से जुड़े मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि आगामी नगर निकाय चुनावों को देखते हुए पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करने से जुड़ी अपीलों पर विचार किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि इस मामले में कोई रास्ता निकाला जाएगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पहले उन मतदाताओं की अपीलों पर सुनवाई की जाएगी, जो मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं। इनमें विशेष रूप से वे मामले शामिल हैं, जिनकी अपीलें विशेष न्यायाधिकरणों के समक्ष लींवाते हैं। अदालत ने संकेत दिया कि मतदाता सूची में पहले से दर्ज नामों को



हटाने की मांग से जुड़ी अपीलों पर बाद में विचार किया जा सकता है। इन मामलों में संबंधित नामों को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने आगामी नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करने से जुड़ी अपीलों पर विचार करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया। पीठ ने कहा कि नाम जुड़वाने की मांग करने वाले मतदाताओं के मामलों को पहले सुना जाएगा, ताकि उनकी अपीलों पर समय रहते विचार किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को पहली सुनवाई के लिए 16 नवंबर की तारीख निर्धारित की है। यदि उस दिन सुनवाई संभव नहीं हो पाती है, तो मामले को 29 नवंबर को सूचीबद्ध किया जाएगा।

राजनीति

पंजाब और सिंध में नवाज शरीफ तथा भुट्टो परिवार की राजनीतिक ताकत हो सकती है कमजोर

पाकिस्तान के चार प्रांतों को 15 हिस्सों में बांटने की तैयारी

इस्लामाबाद, एजेंसी: पाकिस्तान में चार मौजूदा प्रांतों को 12 से 15 हिस्सों में बांटने की योजना पर चर्चा हो रही है। इस संभावित कदम से देश के राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। पंजाब और सिंध में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ तथा बिलावल भुट्टो के परिवारों का प्रभाव कमजोर होने की आशंका जताई जा रही है। इससे केंद्र सरकार और सेना को ताकत बढ़ सकती है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज का मजबूत जनाधार है, जबकि सिंध में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का प्रभाव है। इन बड़े प्रांतों की

मौजूदा राजनीतिक ताकत केंद्र सरकार को चुनौती देने में सक्षम मानी जाती है। यदि इन्हें छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, तो राजनीतिक दलों को अलग-अलग इकाइयों में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए प्रयास करना होगा। इससे प्रांतीय नेतृत्व की सामूहिक ताकत घट सकती है। प्रांतों के पुनर्गठन के पक्ष में प्रशासनिक सुविधा का तर्क दिया जा रहा है। पंजाब की आबादी करीब 12.8 करोड़ है, जबकि क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा बलूचिस्तान है, जहां लगभग डेढ़ करोड़ लोग रहते हैं। बड़े क्षेत्रों में सरकारी सेवाएं और बुनियादी



सुविधाएं पहुंचाना चुनौतीपूर्ण माना जाता है। हालांकि, पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली, महंगाई और कर्ज की समस्या को केवल प्रांतों के बड़े आकार से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। पाकिस्तान में दो विकल्पों पर चर्चा है। पहला, चार प्रांतों को बांटकर 12 से 15 नए प्रांत बनाना। दूसरा, लगभग 160 जिलों को अधिक अधिकार देकर प्रशासन को स्थानीय स्तर पर मजबूत करना। नए प्रांत बनाने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। संविधान के अनुसार, किसी प्रांत की सीमा बदलने के लिए संबंधित विधानसभा के कम से कम दो-

तिहाई सदस्यों की मंजूरी और संसद की स्वीकृति आवश्यक है। सिंध विधानसभा ने 3 सितंबर को प्रांत के विभाजन और उसके किसी हिस्से को केंद्र के अधीन करने के विरोध में प्रस्ताव पारित किया था। कराची सिंध का प्रमुख कारोबारी केंद्र है, इसलिए यहां सीमा बदलने से राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संसाधनों के बंटवारे पर विवाद बढ़ सकता है। पाकिस्तान में सेना का राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति जैसे मामलों में पहले से प्रभाव है। ऐसे में प्रांतों का पुनर्गठन सत्ता के संतुलन को प्रभावित कर सकता है।

पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश



► बेटी टी वीणा की कंपनी से जुड़े वित्तीय लेन-देन की जांच का मामला

मांग का समर्थन किया। एजेंसी की ओर से कहा गया कि जांच में सामने आए कई लेन-देन को राज्य पुलिस या किसी सक्षम एजेंसी से जांच कराना जरूरी है।

नईदुनिया ब्यूरो, कोच्चि: केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े मामले में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने का आदेश दिया। यह मामला उनकी बेटी टी वीणा की कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और कोचीन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) के बीच हुए वित्तीय लेन-देन से संबंधित है। न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।

मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी कर रहा है। एजेंसी ने केरल पुलिस के साथ जांच से जुड़ी जानकारी साझा की थी। इसके बाद राज्य पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बजाय विशेष प्रांत (एसआईटी) गठित किया था। सुनवाई के दौरान ईडी ने एफआईआर दर्ज करने की

मांग का समर्थन किया। एजेंसी की ओर से कहा गया कि जांच में सामने आए कई लेन-देन को राज्य पुलिस या किसी सक्षम एजेंसी से जांच कराना जरूरी है। राज्य सरकार की ओर से याचिका की सुनवाई योग्य होने पर आपत्ति जताई गई। सरकार का कहना था कि राज्य एजेंसी को उपलब्ध सामग्री की स्वतंत्र रूप से जांच करने और यह तय करने का अधिकार है कि उससे किसी अपराध का खुलासा होता है या नहीं। मामला वर्ष 2018-19 में सीएमआरएल की ओर से एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को किए गए भुगतान से जुड़ा है। आरोप है कि कंपनी को 1.72 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जबकि इसके बदले कोई सेवा नहीं दी गई। आयकर विभाग ने भी इस लेन-देन पर सवाल उठाए थे। इसके बाद ईडी ने धनशोधन के आरोपों की जांच शुरू की।

इस मामले की जांच गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) भी कर रहा है। इससे पहले हाईकोर्ट ने ईडी की जांच रद्द करने की सीएमआरएल की याचिका खारिज कर दी थी।

महिला की छाती पर कोहनी मारने से गरिमा भंग करने का इरादा साबित नहीं होता : केरल हाईकोर्ट

अदालत ने आईपीसी की धारा 354 के तहत दोषसिद्धि और सजा रद्द की, आरोपी को किया बरी

नईदुनिया ब्यूरो, तिरुवनंतपुरम: केरल हाईकोर्ट ने महिला की छाती पर कोहनी मारने के मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि केवल इस हरकत से महिला की गरिमा भंग करने का आपराधिक इरादा साबित नहीं होता। न्यायमूर्ति जोबिन सेबेस्टियन ने आरोपी की पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए निचली अदालतों के फैसले रद्द कर दिए।

मामले में चालक्कुडी की न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 के तहत दोषी ठहराते हुए एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। त्रिशूर की अतिरिक्त सत्र अदालत ने भी इस फैसले को बरकरार रखा था। शिकायत के अनुसार, महिला पंचायत रोड पर पैदल जा रही थी, तभी आरोपी ने उसकी छाती के दाईं ओर कोहनी से वार किया। महिला ने इसे अपनी गरिमा भंग करने वाली हरकत बताया था। वहीं, आरोपी ने अदालत में दलील दी कि पुराने विवाद के कारण उसे झूठा फंसाया गया और निचली



अदालतों ने साक्ष्यों का सही आकलन नहीं किया। उसने स्वतंत्र गवाहों की कमी और प्राथमिकी दर्ज कराने में एक दिन की देरी का भी उल्लेख किया। हाईकोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 354 के तहत अपराध साबित करने के लिए महिला की गरिमा भंग करने

का इरादा स्थापित होना जरूरी है। इसके लिए घटना की प्रकृति और परिस्थितियों का आकलन करना आवश्यक है। अदालत ने यह भी कहा कि निचली अदालतों ने मुख्य रूप से महिला और उसकी मां की गवाही के आधार पर दोषसिद्धि की थी। ऐसे में गवाही की

सावधानीपूर्वक जांच जरूरी थी। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता से संबंध होना किसी गवाह की गवाही खारिज करने का अपने आप में आधार नहीं है। अंततः हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि और सजा रद्द कर आरोपी को बरी कर दिया।

उप्र में राज्यसभा की सभी 10 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन, भाजपा को आठ और सपा को दो सीटें

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सभी 10 सीटों पर निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। भाजपा के आठ और समाजवादी पार्टी (सपा) के दो उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। किसी अन्य उम्मीदवार के चुनाव मैदान में नहीं होने के कारण मतदान नहीं हुआ और सभी 10 प्रत्याशियों की जीत घोषित कर दी गई। भाजपा की ओर से विद्यासागर सोनकर, प्रियंका सिंह रावत, गोपी कृष्ण पांडे, धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, रामप्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। वहीं, समाजवादी पार्टी की ओर से प्रोफेसर रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नाथवानी ने जीत दर्ज की है। राज्यसभा की इन सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन के साथ ही उत्तर प्रदेश से चुने जाने वाले सभी 10 सदस्यों के नाम स्पष्ट हो गए हैं।

